

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रत्याभूति ऋणदाता को ज्ञात ऋणभार की जानकारी : ज्ञात नहीं

प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज अधिनियम 2002 की विनियमित आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रवर्तन के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता विशेष रूप से ऋणकर्ता(ओं), रहनकार(ओं) एवं गारंटर(ओं) को एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति ऋणदाता को रहन/बंधक/प्रभारित निम्न वर्णित अचल संपत्तियों का निर्माण/लक्ष्य/भौतिक/सांकेतिक करूजा जोकि, बैंक/प्रतिभूति ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है को सम्बन्धित ऋणकर्ताओं और गारंटर्स से बैंक/प्रतिभूति ऋणदाता को देय इसकी बकाया राशि को वसुली हेतु निम्न तालिका में निर्दिष्ट अनुसार तिथियों पर "जैसे है जहां है" "जैसे है जो है" एवं "जो कुछ भी वहां है" के आधार पर बेचा जाएगा। अरबित कीमत एवं जमा धरोहर राशि संबंधित संपत्तियों के प्रति निम्न तालिका में निर्दिष्टानुसार होगी।

प्रतिभूति आस्तियों की बिक्री की अनुसूची

लॉट सं.	शाखा का नाम	संपत्ति/यों के मालिक (ओं)/ रहनकर्ता (ओं) का नाम	अचल रहन रखी संपत्ति/यों का ब्योरा एवं स्वामी (यों)/ रहनकर्ता का नाम	मांग सूचना की तिथि	आरक्षित कीमत	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
	खाते का नाम			बकाया राशि	जमा धरोहर राशि (ईएमडी)	
	ऋणकर्ता/गारंटर्स का नाम एवं पता			करूजे की तिथि	संवृद्धि वाली राशि	
				करूजे की प्रकृति		
				06.09.2021	RP: Rs. 39,57,600/-	27.03.2026
1.	शाखा :- एआरएमबी, सेक्टर-17बी, चंडीगढ़	श्री संजीव कुमार पुत्र श्री राजबीर सिंह	वर्ष 2013-14 हेतु जमाबंदी एवं सब रजिस्ट्रार कार्यालय जगाधरी में विधिवत पंजीकृत ट्रांसफर डीड सं. 5184 दिनांक 04.09.2017 द्वारा पंजीकृत श्री संजीव कुमार पुत्र श्री राजबीर सिंह द्वारा स्वामित्व में मौजा जामपुर एचबी सं. 472 जगाधरी में खेवट सं. 5 खतौनी सं. 5 खसर सं. 258 में 01 बीघा 08 बिस्वा माप की सम्पत्ति आईडी सं. 341CS61U206B भारत भूमि का प्लॉट वर्ष 2023-2024 हेतु जमाबंदी के अनुसार सम्पत्ति के खेवट एवं खतौनी सं. क्रमशः 2/2 एवं 2 है। यह सम्पत्ति, सब-रजिस्ट्रार कार्यालय, जगाधरी में विधिवत पंजीकृत रहन विलेख सं. 840 दिनांक 15.5.2018 द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के पास रहन रखी गई है।	Rs. 23,74,192.38 के साथ 01.04.2021 से भागी ब्याज जमा मिले जुले खर्च वसुली यदि है तो घटाकर, पूर्ण भुगतान तक	EMD: Rs. 3,95,760/-	पूर्वा 11.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	मैसर्स एस.के. इंडस्ट्रीज (फोन : 9896202222) समीप बड़ा गुरुद्वारा शांति कलानी हनुमान गेट, जगाधरी, हरियाणा श्री संजीव कुमार पुत्र राजबीर सिंह (फोन : 9896202222) (प्रोप. मैसर्स एस.के. इंडस्ट्रीज) गांव मंदेबर (Mandebar) पीओ औरंगाबाद जिला यमुनानगर, हरियाणा			05.03.2022	संवृद्धि वाली राशि Rs. 50,000/-	

नोट : सभी अचल संपत्ति हेतु संपर्क व्यक्ति : पंजाब नेशनल बैंक, प्राधिकृत अधिकारी श्रीमती सुध्या सुथार, एआरएमबी, चंडीगढ़, मोबाईल नं. : 9825262328

ई-नीलामी बिक्री की नियम एवं शर्त :-

बिक्री निम्न अतिरिक्त शर्तों एवं प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के विषय में होगी:-

- (1) सम्पत्ति की बिक्री "जैसे है जहां है आधार" "जैसे है जो है आधार" एवं "जो कुछ भी है जहां है आधार" पर की जाएगी।
- (2) उपरोक्त निर्दिष्ट अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी अनुसार निर्दिष्ट किया गया है, परन्तु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत कथन या विलोपन हेतु जिम्मेवार नहीं होगा।
- (3) नीलामी बिक्री ई-ऑक्शन पोर्टल <https://baanknet.com> द्वारा ऑनलाइन की जाएगी।
- (4) बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों हेतु कृपया <https://baanknet.com> एवं www.pnbindia.in पर जाएं।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत 15 दिन की सांविधिक सूचना

दिनांक : 07.03.2026

स्थान : चंडीगढ़

प्राधिकृत अधिकारी,

पंजाब नेशनल बैंक, एआरएमबी, चंडीगढ़